

कार्यालय  
पत्रांक:- 79/नि0वि0/जि0पं0गा0/2026-27  
सम्पादक  
दैनिक जागरण/दैनिक अमर उजाला/दैनिक हिन्द  
गाजियाबाद।

पंचायत,

गाजियाबाद।  
दिनांक:- 08-05-26

कृपया निम्न निविदा सूचना अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में केवल एक बार न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कर विज्ञापित समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, गाजियाबाद।

कार्यालय जिला पंचायत, गाजियाबाद  
संशोधित ई-निविदा आमंत्रण सूचना

1- कार्यालय पत्रांक 68/नि0वि0/जि0पं0गा0/2026-27 दिनांक 02.05.2026 द्वारा प्रकाशित ई-निविदा आमंत्रण सूचना किसी तकनीकी कारणों के कारण दिनांक 07.05.2026 को अपरान्ह 02:00 बजे प्रकाशित नहीं हो सकने के कारण निविदा आमंत्रण कार्यक्रम निम्नानुसार संशोधित किया जाता है।

- |   |   |
|---|---|
| 1- वेबसाईट पर निविदा प्रकाशित की तिथि             | दिनांक 12.05.2026 को अपरान्ह 2.00 बजे                       |
| 2-वेबसाईट पर निविदा अपलोड किये जाने की अंतिम तिथि | दिनांक 22.05.2026 को अपरान्ह 12.00 बजे तक                   |
| 4- ई-निविदा खोले जाने की तिथि                     | दिनांक 22.05.2026 को 02.00 बजे से समस्त निविदाएं खुलने तक । |

अन्य सभी शर्तें व विवरण यथावत रहेगीं।

(डी0के0शर्मा)

अभियन्ता

जिला पंचायत, गाजियाबाद

पृष्ठांकन सं0:- /निवि0/जि0पं0गा0/2026-27

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, खण्ड-2 गाजियाबाद।
- 4- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
- 5- उपनिदेशक, मण्डी परिषद, गाजियाबाद।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गाजियाबाद।
- 7- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, गाजियाबाद।
- 8- वित्तीय परामर्शदाता जिला पंचायत, गाजियाबाद।

9-निदेशक, राष्ट्रीय अभिसूचना विभाग(NIC)गाजियाबाद को उक्त सूचना जनपद की वेबसाईट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर अपलोड किये जाने हेतु।  
9- जिला पंचायत, गाजियाबाद के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचनार्थ नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, गाजियाबाद।

कार्यालय पत्रांक- 68 /नि0वि0/जि0पं0गा0/2025-26 दिनांक-02.05.26 द्वारा प्रकाशित

क्र0सं0	कार्य का नाम	धनराशि	धरोहर धनराशि	निविदा मुल्य(जी0एस0 टी0 सहित)	अवधि
1	ग्राम हुसैनपुर मे ग्रिन्स के खेत से सुनील प्रधान के खेत की ओर सम्पर्क मार्ग पर मिटटी खडंजा कार्य	2198399	43968	2596	4 माह
2	ग्राम मोहम्मदपुर कदीम मे भूले पण्डित के खेत से राजेश्वर के खेत की ओर सी0सी0 कार्य	1680219	33604	2006	3 माह
3	ग्राम डिडोली मे गंगनहर पुल से शहजादपुर डिडोली मार्ग की ओर संपर्क मार्ग पर सी0सी0 कार्य	2479558	49591	2950	4 माह
4	ग्राम शहजादपुर मे महेन्द्र की दुकान से पवनेश्वरी के मकान तक सी0सी0 कार्य	2208707	44174	2714	4 माह
5	ग्राम मीरपुर मे रोहताश के खेत से देवेन्द्र त्यागी की ट्यूबवैल तक मिटटी खडंजा कार्य	787409	15748	944	2 माह
6	काली सडक मीरपुर मार्ग से सहदेव के खेत तक मिटटी खडंजा कार्य	998142	19963	1180	2 माह
7	ग्राम रोहताशगढी मे महेन्द्र के प्लाट से जिला पंचायत के खडंजे तक अवशेष खडंजा	641875	12838	826	2 माह
8	ग्राम चितौडा गौतम के खेत से दयावीर के खेत की ओर सी0सी0 निर्माण कार्य	2185134	43703	2596	4 माह
9	ग्राम चितौडा मे परमीन्द्र के खेत से रविन्द की ट्यूबवैल तक मिटटी खडंजा कार्य	560865	11217	708	3 माह
10	जिला पंचायत पूर्व निर्मित खडंजे से सारा रोड तक अवशेष मिटटी खडंजा कार्य	948377	18968	1180	3 माह
11	ग्राम सादाबाद जखेवा मे दिल्ली मेरठ रोड से पवन के खेत की ओर संपर्क मार्ग पर सी0सी0 कार्य	1130290	22606	1416	3 माह
12	ग्राम नाहली मे वारिस के मकान से रईस मास्टर के मकान तक नाला निर्माण कार्य	1476080	29522	1770	3 माह
13	ग्राम पंचायत नेकपुर साबितनगर मे अमित के घर से शमशान घाट की ओर सम्पर्क मार्ग पर मिटटी खडंजा कार्य	1444263	28885	1770	3 माह
14	ग्राम पंचायत बसन्तपुर सैतली मे टीकरी माईनर की सडक से राजकुमार त्यागी के खेत की ओर सम्पर्क मार्ग पर मिटटी खडंजा कार्य	735840	14717	944	2 माह
15	ग्राम पंचायत रावली कलां से नकपुर मुख्य मार्ग के शिवनाथ जी के खेत की ओर सम्पर्क मार्ग पर मिटटी खडंजा कार्य	641512	12830	826	2 माह
16	मुरादनगर मे जिला पंचायत मार्किट मे पार्को मूर्ति और अनुश्रक्षण कार्य	1071155	21423	1298	3 माह

02.05.26

30  
2-5-26

अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत गाजिय ब्रद

### निविदा सूचना- नियम एवं शर्तें

जिला पंचायतों में रजिस्ट्रीकृत ठेकेदारों एवं राज्य सरकार के सिंचाई विभाग व लोक निर्माण विभाग में रजिस्ट्रीकृत ठेकेदार को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग/पन्द्रहवां वित्त आयोग/जिला निधि के योजनान्तर्गत जिला पंचायत, गाजियाबाद द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की ई-निविदा, ई-टेण्डरिंग के माध्यम से शासकीय वेबसाईट **www.etender.up.nic.in** पर आमंत्रित की जाती है, जो ऑनलाइन उक्त वेबसाईट पर **Upload/Download/Submit** की जायेगी। उक्त निविदा शासकीय वेबसाईट **www.etender.up.nic.in** पर आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 22.05.2026 को दोपहर 02.00 बजे से निविदा खोलने की सम्पूर्ण कार्यवाही निविदा समिति के समक्ष प्रारम्भ कर सम्पूर्ण निविदाएं खुल जाने तक की जायेगी। निविदाओं हेतु नियम एवं शर्तें अन्य जानकारी हेतु शासकीय ई-टेण्डरिंग वेबसाईट पर जाकर पढा जा सकता है तथा कार्यालय जिला पंचायत, गाजियाबाद में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर जानकारी ली जा सकती है।

प्रत्येक निविदा के साथ पृथक-पृथक 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0, जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, गाजियाबाद के पदनाम से बन्धक हो संलग्न करना होगी अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट, आर0टी0जी0एस0, एन0ई0एफ0टी0 द्वारा भी जमा कराई जा सकती है। कार्य का अनुबन्ध भी 10 प्रतिशत धनराशि की एफ0डी0आर0 अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, गाजियाबाद के पदनाम से बन्धक के सापेक्ष ही किया जाएगा। निविदा मूल्य बैंक ड्राफ्ट (जो कि अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, गाजियाबाद के पदनाम) अथवा कार्यालय में निविदा शुल्क नगद जमा कर प्रपत्र-5 अपलोड किया जा सकता है। उक्त निविदा सम्बन्धित विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अन्तर्गत निर्माण नियमावली, 1984 के सभी नियम प्रभावी होंगे। निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी में निहित है। ठेकेदार को निर्माण नियमावली/अनुबन्ध के अतिरिक्त कोई दावा/आपत्ति करने का अधिकार न होगा। ई-टेण्डरिंग वेबसाईट पर टेण्डर के साथ निम्न दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने होंगे तथा समस्त दस्तावेज **Financial Bid** खुलने उपरान्त कार्यालय जिला पंचायत, गाजियाबाद में मूल रूप से उपलब्ध कराने होंगे-

- 1- निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र (टेण्डर प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला T-6)
- 2- धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 के माध्यम से जमा की जायेगी जो कि अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, गाजियाबाद के नाम बंधक होगी।
- 3- बैंक खाता संख्या यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 448402010003855 आई0एफ0एस0सी0 कोड **UBIN0544841** आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से डाली जा सकती है। निविदा मूल्य के जमा की पुष्टि की रसीद व एक से अधिक निविदा डालने की स्थिति में यदि समस्त निविदाओं का निविदा मूल्य संयुक्त रूप से जमा किया जाता है तो उक्त समस्त निविदाओं के निविदा मूल्य की सूची प्रत्येक निविदा के साथ अपलोड करनी होगी एवं उसकी प्रति कार्यालय में जमा करनी होगी।
- 4- निविदा समिति द्वारा आवश्यक प्रतीत होने पर एवं मांगे जाने पर अन्य दस्तावेज ठेकेदार को प्रस्तुत करने होंगे।

- 5- यदि अन्य विभागों के रजिस्ट्रीकृत ठेकेदारों की निविदा न्यूनतम प्राप्त होने की दशा में निविदा स्वीकृति से पूर्व सम्बन्धित ठेकेदार को जिला पंचायत, गाजियाबाद में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- 6- निविदा उन्हीं ठेकेदारों की मान्य होगी जिनका चरित्र प्रमाण-पत्र तथा हैसियत प्रमाण-पत्र टेण्डर डाले जाने के अंतिम दिवस तक वैध होगा।
- 7- ठेकेदार को GST Number की प्रति, पैन नम्बर एवं आधार कार्ड की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।

#### निर्माण कार्य का विवरण/प्रतिबन्ध निम्नवत है-

- 1- निविदाएं ई-टेण्डरिंग के माध्यम से सम्बन्धित सरकारी वेबसाइट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) से डाउनलोड व अपलोड की जाएगी। प्रपत्र वेबसाइट से अपलोड/डाउनलोड करने के सम्बन्ध में जानकारी कार्यालय जिला पंचायत, गाजियाबाद से की जा सकती है।
- 2- ई-टेण्डरिंग के सम्बन्ध में शासन से यदि अन्य कोई निर्णय लिये जाते है तो ठेकेदारों को मान्य होंगे।
- 3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व व कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के फोटोग्राफ प्रस्तुत करने होंगे और निर्माण कार्य का बोर्ड सुरक्षित लगा रहने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ऐसा करने पर ही ठेकेदारों का भुगतान किया जा सकेगा।
- 4- किसी भी ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पश्चात कभी भी यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार उपरोक्त में से किसी भी नियम के अनुसार ठेका पाने के लिये अनर्ह था, या सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
- 5- कार्य प्रारम्भ की तिथि से एक सप्ताह में श्रम विभाग से कार्य व नियमानुसार श्रमिकों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में जमानत राशि जब्त कर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
- 6- निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिज के वैध अभिवहन प्रमाण-पत्र (एम0एम0-11) की प्रमाणित प्रति शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- 7- ई-टेण्डर वेबसाइट पर उक्त समस्त निविदाओं का प्रांकलन/वित्तीय प्रस्ताव का आमन्त्रण जी0एस0टी0 सहित है। शासनादेशानुसार जी0एस0टी0 का भुगतान जी0एस0टी0 सहित देय होगा, जो समय-समय पर शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रहेगा, जो ठेकेदार को मान्य होगा तथा जी0एस0टी0 की देयता का समस्त उत्तरदायित्व/जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- 8- किसी भी कार्य की मात्रा घट/बढ़ सकती है अथवा कोई कार्य निरस्त/समाप्त भी किया जा सकता है।
- 9- कार्य में किसी भी प्रकार की कमी होने पर क्षति निविदादाता से वसूली जायेगी।
- 10- निविदा प्रपत्र में उल्लिखित अवशेष शर्तों से निविदादाता पूर्णतः बंधा हुआ है।
- 11- कार्यों का अनुबन्ध शासन से धनराशि उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।